न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2023 (बांसवाड़ा डिक्री)

लक्ष्मण सिंह पिता बहादुर सिंह, जाति राजूपत, निवासी काकाजी का गढ़ा, ग्राम पंचायत मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

लक्ष्मीलाल पिता छगनलाल, जाति दर्जी, निवासी भूवासा, तहसील गनोड़ा, हाल निवासी पीपलखूंट, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक 05.01.2023 प्रकरण संख्या 54/2016

———/———

उपस्थित :– 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजकुमार जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 25–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1827 रकबा 0.26 हैक्टर ग्राम भुवासा में स्थित है, जिस पर वादी का अर्से दराज से कब्जा है। प्रतिवादी का उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं होनते हुए भी करीब 1 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से भराव कर दिया तथा मना करने भी भूमि क्रय करना बताया। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी हिस्से में करीब 300 फिट भूमि पर पिलर खड़े कर रातों रात छत डलवा दी तथा विरोध करने पर नहीं हटा रहे हैं। अतः प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा ख[illegible] निवेदन किया कि प्रतिवादी ने आराजी नंबर 1825 [illegible] आराजी नंबर 1826

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

रकबा 0.02 हैक्टर व आराजी नंबर 1817/2542 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि कोमल कुंवर पत्नी ललित सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसी पर बाउण्ड्रीवाल बनायी है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05–01–2023 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार रोत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज है, अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवायी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एकत्रित करने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने सर्वे नंबर 1828 पर अपीलान्ट/प्रतिवादी का अतिक्रमण माना है, जबकि आराजी नंबर 1828 बाबत् रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श पी.1 में आराजी नंबर 1828 व 1829 के साथ–साथ विवादित आराजी नंबर 1817 रकबा 0.26 हैक्टर का रेस्पोन्डेन्ट/वादी खातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के सीमाज्ञान बाबत् संयु[illegible] [illegible]ठित कर [illegible] रिपोर्ट के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं स.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

रेस्पोन्डेन्ट/वादी की आराजी नंबर 1827 व 1828 में से कमशः 0.01 हैक्टर, 0.01 हैक्टर पर अपीलान्ट/प्रतिवादी का अतिकमण पाये जाने के आधार पर प्रतिवादी का कब्जा हटाकर वादी को सिपुर्द किये जाने का आदेश दिया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 05–01–2023 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

लक्ष्मणसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत, नि0 काकाजी का गढ़ा, ग्राम पंचायत मोटाटाण्डा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा

बनाम

लक्ष्मीलाल पिता छगनलाल दर्जी, नि. भूवासा, तहसील गनोडा, हाल निवासी पीपलखूंट, तह. पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़

अपील नं.......**04/2023**..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**घाटोल**.......... मुकाम...............मुवर्खे...........**05**.............माह.............**01**...........**2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री यशपाल गुप्ता** .....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री राजकुमार जैन**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 05–01–2023 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**.......माह.......**07**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर उसकी का कुल रकम का इन्दराज किया जावे, जो कि, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested